भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–144/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
29.01.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि **18.02.2019** को निर्धारित की जाती है। अभिलेख **18.02.2019** को उपस्थापित करें । 29.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
18.02.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–103, दिनांक–16.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **सुखलाल उराँव,** पिता– **स्व0 पोरा उराँव,** जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** ग्राम– **टिकरचाम्पी,** थाना– **चक्रधरपुर,** जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के तहत भूमि अंतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **वार्ड नं0–09,** थाना– **चक्रधरपुर,** खाता नं०–**19,** प्लॉट नं0– **116/601, 162,** रकवा क्रमशः–**1 डि0 750 वर्गकड़ी, 4 डि0 250 वर्गकड़ी,** कुल रकवा– **6 डि0,** आवासीय भूमि Transferee **दिव्या तिर्की,** पिता– **लाले तिर्की,** जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** ग्राम– **मुण्डादेव,** पो0– **गालुडीह,** थाना– **कुचाई,** जिला– **सरायकेला खरसावाँ** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि अन्तरित की जाने वाली जमीन आवेदक **सुखलाल उराँव,** पिता– **स्व0 पोरा उराँव,** जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** ग्राम– **टिकरचाम्पी,** थाना– **चक्रधरपुर,** जिला **प०सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को प्रस्तावित अन्तरण के बिंदु पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। Transferor **[illegible]** थाना– **चक्रधरपुर,** जिला– **प0 सिंहभूम** एवं Transferee **[illegible]** थाना– **कुचाई,** जिला– सरायकेला खरसावाँ के निवासी हैं। Transferor एवं Transferee का जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** समुदाय के सदस्य हैं। Transferor सुखलाल उराँव, पिता– स्व0 पोरा उराँव द्वारा शपथ पत्र संख्या–02, दिनांक–18.02.2019 समर्पित किया गयाहै। जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि Transferee दिव्या तिर्की, पिता– लाले तिर्की रिश्ते में उनके भगनी लगती है। Transferor द्वारा बताया गया है कि वह शारिरीक रूप से विकलांग हैं एवं इनका देख–भाल Transferee (Niece) दिव्या तिर्की, पिता– लाले तिर्की के द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि अन्तरण के पश्चात् Transferor को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत रकवा–1.46 ए0, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप Transferor **सुखलाल उराँव,** पिता– **स्व0 पोरा उराँव,** जाति– **उराँव (अ०ज०जा०),** ग्राम– **टिकरचाम्पी,** थाना– **चक्रधरपुर** को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि को अपनी भगनी दिव्या तिर्की, पिता–लाले तिर्की, जाति– उराँव (अ०ज०जा०), ग्राम–मुण्डादेव, पो0– गालुडीह, थाना– कुचाई, जिला– सरायकेला खरसावाँ को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कि सुसंगत धारा/नियम के तहत अन्तरण करने की अनुमति दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 18.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। 18.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	